नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.03.2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रभाष कुमार, विशेष कार्याधिकारी श्री इन्दु प्रकाश सिंह, विशेष कार्याधिकारी श्री अविनाश त्रिपाठी, उप महाप्रबन्धक/वरि0 परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य) श्री एस0पी0 सिंह, परियोजना अभियन्ता जन स्वास्थ्य – प्रथम/द्वितीय, वरिष्ठ प्रबन्धक (H & SWM), मैसर्स एच0सी0एल0 फाउन्डेशन एवं कनसल्टैन्ट उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये –

1. नौएडा के विभिन्न मुख्य नालों पर लगाई गई MS Bar Screen पर 02 दिन में एक बार तथा ग्रामों के आस–पास के मुख्य नालों पर प्रतिदिन फ्लोटिंग निकालने के निर्देश दिये गये।
2. वर्तमान में रविवार में सैक्टरों/ग्रामों में सफाई कार्य नही करायी जा रही है जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सप्ताह के सात दिन सफाई कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा 1/7 कर्मचारियों को दिन वार छुट्‌टी देने के निर्देश दिये गये।
3. वाल पेंटिंग्स की लोकेशन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को दिखाई गई जिमसें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सभी वॉल पेंटिंग्स के डिजाईन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया से Approved कराने के बाद ही स्थल पर कार्य कराने के आदेश दिये गये तथा पूर्व वर्षों की खराब वाल पेंटिंग को पुनः कराने एव स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के स्थान पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कराने के निर्देश दिये गये।
4. नौएडा के विभिन्न मार्केटों एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर लगाये जाने वाले नये डस्टबिनों का कार्य 10.04.2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
5. NAPR पेट एप्प को 31.03.2023 तक सभी इम्पैनल्ड क्लीनिकों को जोड़ते हुए वैक्सीनेशन के कार्यों का क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिये गये। उक्त का SOP को भी दिनांक 31.03.2023 तक Approve कराने के निर्देश दिये गये।
6. STP के शोधित जल से कार वाश स्टेशन लगाने के निविदा को दिनांक 31.03.2023 तक अनुमोदिन कराते हुए कार्य को यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।
7. सैक्टर–119 में निरस्त किये गये MRF सेन्टर के स्थान पर नया MRF सेन्टर स्थापित करने एवं नौएडा क्षेत्र में बड़ी क्षमता के दो MRF सेन्टर स्थापित करने हेतु RFP का अनुमोदन कराते हुए 15 दिन में RFP आमंत्रण के निर्देश दिये गये। छः बड़ी क्षमता के Bio Methanization Plant Revenue Sharing Model पर लगाने के भी निर्देश दिये गये।
8. कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में विभिन्न एजेन्सियों के लाईव डाटा को लिंक करने का कार्य, FCTS पर स्थापित कैमरों को जोड़ना, मैकेनिकल स्वीपिंग की लाईव डेमो, डोर टू डोर के सेकेन्ड्री व्हीकल्स को जोड़ना आदि कार्यों को HCL से समन्वय करते हुए अगले 15 दिनों में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
9. नौएडा क्षेत्र के विभिन्न GVP Points पर अभी भी ग्रावासियों द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। उक्त पर मॉनिटरिंग हेतु स्थापित किये जाने वाले कैमरे लगाने के कार्य को अगले 02 माह में स्थापित कराने के निर्देश दिये गये।
10. नौएडा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई उपरान्त एकत्रित कूड़े/डस्ट को बैग में भर कर निस्तारित करने के निर्देश दिये गये थे जिसका अभी भी पूरी तरह अनुपालन नही किया जा रहा है। समस्त मार्गों पर सफाई उपरान्त निकलने वाले कूड़े/डस्ट हेतु बैग का इस्तेमाल करने के निर्देश दिये गये।

11. नौएडा के विभिन्न मुख्य मार्केटों में नाईट स्वीपिंग के कार्य हेतु 2.5 प्रतिशत के कर्मचारियों में से लगभग 100 सफाई कर्मचारियों को पृथक करते हुए QRT टीम बनाकर नाईट स्वीपिंग का कार्य एक सप्ताह में प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

12. **नौएडा के विभिन्न सैक्टरों/ग्रामों में कर्मचारियों की तैनाती Beat Map के अनुसार करते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने Beat Area में सफाई नही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।**

13. **नौएडा के विभिन्न जोन कॉन्ट्रैक्टरों/मैकेनिकल स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा अभी भी लेबर द्वारा ड्रेस का प्रयोग नही किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों द्वारा ड्रेस में कार्य करते हुए नही पाये जाते है तो उनके संविदाकारों पर पेनल्टी लगाते हुए कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।**

14. **डोर टू डोर एजेन्सी मैसर्स ए0जी0 इन्वायरों द्वारा ग्रामों में अभी भी सेग्रीगेशन का कार्य संतोषजनक नही किया जा रहा है जिस हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।**

15. स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 के दृष्टिगत नौएडा क्षेत्र में स्थित विभिन्न Water Bodies के 500 मीटर के आस–पास कोई भी कूड़े के ढेर न होने एवं नालियों में फ्लोटिंग मैटिरियल न होने देने के निर्देश दिये गये।

16. स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 के दृष्टिगत मुख्य नालों के पास गार्वेज के ढेर न पाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

17. सैक्टर–145 में स्थापित रेमिडिएशन प्लान्ट पर प्रोसेसिंग की धीमी गति को बढाने के निर्देश दिये गये।

18. कनसल्टेन्ट एजेन्सी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दृष्टिगत सभी विभिन्न मदों में गैप एनलासिस करने तथा एक्शन प्लान 03 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

19. **नौएडा क्षेत्र के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे होटल, ग्रुप हाऊसिंग एवं अन्य संस्थानों द्वारा अपने कैम्पस में वेट वेस्ट के प्रोसेसिंग न करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कैम्पस के अंदर ही कम्पोस्ट प्लान्ट लगवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये तथा अनुपालन न करने की स्थिति में पेनल्टी लगाने के निर्देश दिये गये।**